न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
रेमती पत्नि सायब खां जाति मुसलमान (मौसला) निवास फूंगणी तहसील सिरोही जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री दिनेश राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22.1.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 02/2000 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2001 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम फूंगणी के खसरा नम्बर 653 रकबा 14.6 बीघा किस्म प. ाा की भूमि अपीलार्थी के पति सायब खां पुत्र जमाल खा को उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 186 के जरिये सायब खां का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उसके पश्चात सायब खां का इन्तकाल होने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 15.07.1998 के द्वारा अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के तीन पत्रों जवान खां, झका एवं अमीया का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। अपीलाण्ट के पति का उक्त भूमि पर वक्त आवंटन से कब्जा काश्त रहा एवं उनके पश्चात अपीलाण्ट एवं उसके पुत्र इस भूमि पर काबिज काश्त है, किन्तु तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट एवं उसके पुत्रों का कब्जा काश्त नही होना बताते हुए राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र मातहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना, एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करते हुए आवंटन को खारिज कर दिया, जबकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। अपीलाण्ट के तीनों पुत्र भी अविवाहित फौत हो चुके है। अब अपीलाण्ट ही इस भूमि पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच किए तथा बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट अपनढ महिला है, जिसे गांव के लोगों से जैर अपील आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आदेश की प्रतियां प्राप्त कर अपने अधिवक्त के मार्फत हस्तगत अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे अन्दर म्याद शुमार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम फुंगणी के 653 रकबा 14.6 बीघा किस्म प. II की भूमि सायब खां पुत्र जमाल खा को उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 186 दायर किया गया। इसके पश्चात आवंटी फौत होने के कारण आवंटी के का0मु0 के तौर पर अपीलाण्ट एवं उसके तीन पुत्रों का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 397 के बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात आवंटी के का0मु0 का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण आवंटन शर्तो की अवहेलना होने के कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार सिरोही द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फूंगणी के खसरा नम्बर 653 रकबा 14.06 बीघा भूमि का आवंटन सायब खां पुत्र जमाल खां के पक्ष में हुआ था। उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 186 दायर किया गया। उसके पश्चात सायब खां फौत होने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 15.07.1998 के जरिये जवान खां, भका, अमीया पि0 सायब खां, रेमती पत्नि सायब खां का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। गिरदावरी सम्वत् 2042 के अनुसार आवंटी/आवंटी के का0मु0 का उक्त आवंटनसुदा आराजी पर वक्त आवंटन से कब्जा काश्त नहीं होना पाया गया। अतः आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, किन्तु अपीलाण्ट/अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असालतन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं हुए। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवंटन के आधार पर आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 240 में खाता संख्या 168 पर इन्द्राज किया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2034 से 2053 के अनुसार आवंटी द्वारा सम्वत् 2042 में आवंटित भूमि पर ग्वार बोई थी। इसके अतिरिक्त सम्वत् 2038, 2039, 2040, 2041, 2043 से 2055 तक उक्त भूमि पर किसी प्रकार की काश्त नहीं की गई। यह तथ्य प्रमाणित है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) में यह आज्ञापक प्रावधान है कि आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि के आधे हिस्से में तथा शेष आधे में हिस्से में द्वितीय वर्ष में काश्त किया जाना आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात नियमित रूप से आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की, जिसके कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) का उल्लंघन होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए आवंटन को निरस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 02/2000 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2001 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली